छ**न्ध**ेस-२ सचिवःलय


विषय:--रिट याचिका कं.-1202/2016 बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह विषय: विरुद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य 🖹

1- पंजी कंमाक-570 ,दिनांक 8-3-2016

का विभाग P-11C

कृपया विचाराधीन पत्र का अवलोकन करें। जेल मुख्यालय द्वार्स याचिका कंमाक-1202/2016 बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह विरूद्ध म प्र.शासन एवं अन्य में प्रत्यावर्तन हेतु विधि अधिकारी,केन्द्रीय जेल,जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। 2/ अतः जेल मुख्यालय के प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में विधि अधिकारी,केन्द्रीय जेल,जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाए तद्नुसार आदेश प्रारूप अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

उप ऋचिव



(24)

भोपाल, दिनांक 🕳 😉 मार्च,2016

क्रमांक-एफ-14- ०% /2016/तीन/जेल : सिविल सेवा प्रक्रिया संहिता (1.90) का अधिनियम क्रमांक-05 के आदेश 27 के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विधि अधिकारी, केन्द्रीय जेल, जबलपुर को पक्षकार का नाम विविध याचिका क्रमांक-1202/2016 द्वारा बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य में तथा उसकी ओर से प्रमारी के रूप में अवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उप संजात के लिये नियुक्त किया जाता है। प्रमारी अधिकारी को यह आदेश किया जाता है कि वह मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग को नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीतियों में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :--

- (1) प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जाँच करेगा जैसा की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए और ऐसे अमिलेख जानकारी देते हुये जिससे कि मामले के संचालन में अधिवक्ता/शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संमावना है रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण में विधि विभाग को रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट की जायेगा।
- (2) समस्त सुसंगत फाईल का दस्तावेज नियम, अधिसूचनायें तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) वादपत्र / याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिससे कि शासकीय अधिवक्ता को सहायता पहुंचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता/अभिभाषक से संपर्क करेगा।
- (5) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (गं) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना और जिनकी रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
- (6) भामले के निराकरण के लिये आवश्यक कागजातों पत्रों को प्रक्रिया जिसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होना चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी एवं संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता को सहयोग करने की तैयारी एवं अन्य मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नित्य किये गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश / निर्देश विनिष्ट तथा मध्यप्रदेश राज्य के विरूद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना और उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।



्

प्रमारी अधिकारी लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का (10) विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाय और रिपोर्ट के साथ

भेजी जाय।

प्रभारी अधिकारी लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिये (11) उत्तरदायी होगा कि उस मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश निरीक्षित अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाय विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ प्रशासकीय विभाग को

न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने पर (12) प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि तत्काल आदेश का अध्ययन कर उन बिन्दुओं को अलग से छांटे जिस पर कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन विनिर्दिष्ट दिनांक तक न्यायालय को किया जाना है। तत्पश्चात् प्रभारी अधिकारी लिखित में शासन को अथवा उस सक्षम अधिकारी का जहाँ से आवश्यक कार्यवाही की जानी है ध्यान आकर्षित करायेगा एवं निश्चित समयावधि में न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेगा।

जिन प्रकरणों में मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया जाता है, उन सभी (13) प्रकरणों में मुख्य सचिव का उल्लेख विलोपित करते हुये प्रकरण में रिटर्न

प्रस्तुतीकरण किया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तश्रा आदेशानुसार ( दशरथ कुमार ) उप सचिव. मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग

ी के भोषाल,दिनांक 🖒 मार्च ,2016 पु<sub>॰</sub>क्रमांक-एफ-14- **४६ / 2016 /** तीन / जेल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--प्रतिलिपि :-

प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल, मध्यप्रदेश, 1.

महाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय,जबलपुर/उप महाधिवक्ता,मान,उच्च 2. न्यायालय खण्डपीठ,इन्दौर / ग्वालियर 📗

महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, मोपाल, 3.

विधि अधिकारी (प्रभारी अधिकारी) केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर अग्रेषित। 4. साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से कार्यदाही करने के लिये एवं मामले पर अपनी रिपोर्ट इस कवमाग को भेजने हेत् अग्रेषित। विमाग के साथ-साथ विधि एवं विधायी कार्य विभाग को भी प्रगति रिपोर्ट सदैव मेजें। वाद पत्र की एक प्रति इस विमाग को अनिवार्यतः भिजवायें।

आदेश फाईल। 5,

ध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग

#### पेज कमांक ( // ) की टाईप कॉपी

#### प्रारूप - (च)

[ नियम 5 (क) देखिये ]

छुद्टी / आपात छुट्टी पर नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति, अधीक्षक

> जिला जेल <u>बैतू</u>ल

मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 के अधीन छुट्टी मंजूर करने के दिषय :-

लिये आवेदन ।

महोदय :-

निवेदन है, कि मुझे <u>परिजनों से मिलने हेत</u> के लिये <u>04.02.2015</u> से <u>28.02.2015 (15)</u> दिन तक को कालावधि को छुट्टी / आपात छुट्टी मंजूर करने की कृषा करें । छुट्टी की कालावधि के दौरान में निम्नलिखित स्थानों को आऊँगा। मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं नीचे उल्लिखित स्थानों से मिन्न अन्य किन्ही भी स्थानों को नहीं जाऊँगा :-

छुट्टी के लिए प्रस्तावित स्थान :-

सारणी डाक खाना सारणी ( पाथाखेड्रा ) सारणी जिला बैत्ल

प्रस्तावित जमानतदारों के नाम मय पिता के

दलवीर सिंह पिता मंगल सिंह 1. नाम

> प्रेमनगर पाथाखेडा ग्राम डाक खाना पाथाखेडा

सारणी जिला थाना

बैत्ल

सिंद्धात सिंह पिता स्वंण सिंह नाम 2.

> ग्राम सुभाष नगर पाथाखेडा डाक खाना <u>पाथाखेडा</u>

सारणी जिला बैत्ल थाना

हस्ताक्षर कल्याण परिवीक्षा अधिकारी

हस्ताक्षर बंदी के हस्ताक्षर

		<b></b> .			

## पेज कमांक ( /2\_ ) की टाईप कॉपी

जेल कार्यालय के लिये

88<u>6/14</u> बंदी कर्मांक

शैलेन्द्र <u>सिंह</u> नाम

निवासी

आत्मज

मंगल सिंह

<u>शोभापुर कालोनी टाईप 3 के पास</u>

अपराध की धारा

<u>302/34, 364, 435, 201 मा.द.वि.</u>

के लिये दंडादिष्ट <u>आजन्म कारावास, आजन्म कारावास, 3 वर्ष, 3 वर्ष, सन्नम</u> कारावास

10.09.2013 दण्डादेश की तारीख

दण्डादेश देने वाले न्यायालय का नाम <u>मान. श्री प्रशांत कुमार निगम 1" ASJ Betul</u>

पूर्व में ली गई छुट्टी / आपात छुट्टी यदि कोई हो

<u>क्छ नहीं</u>

विचाराधीन अवधि

वर्ष <u>00</u>, माह <u>03</u>, दिन <u>1</u>

दण्डादेश दिन को भुगते हुए कुछ (27.12.2014)

वर्ष <u>01,</u> माह <u>03,</u> दिन <u>1</u> वर्ष <u>00</u>, माह <u>05</u>, दिन <u>2</u>

प्राप्त परिहार पर भुगत हुए

वर्ष 02, माह <u>01</u>, दिन <u>1</u>

कुल दण्डादेश अंतिम परिहार पर अवशेष दण्डादेश

<u>शासन आदेश तक</u>

जेल में बंदी का आचरण

अच्छा

अधीक्षक जेल बैतूल के हस्ताक्षर

कार्योलय अधीक्षक केन्द्रीय जिला / उप जेल <u>बैतूल</u>

क्रमांक <u>95/वारंट/2015</u>

दोष सिद्धी व्यक्ति

शैलेन्द्र सिं<u>ह</u>

आत्मज

मंग<u>ल सिंह</u>

का आवेदन पत्र मूलत:.....

जिला मजिस्ट्रेट जिला <u>बैतूल</u> को जेल महानिरीक्षक मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित किया जाता है । प्रश्नाप्रद बंदी को छुट्टी / आपात छुट्टी की पात्रता है । उसके मामले की सिफारिश की जाती है ।

अधोक्षक जिला जेल बैतूल के

हस्ताक्षर



(13) Asserve P-3

कार्यालय पुलिस अधावक, जिला-बैद्रान (मेळप्र)

कर्मांक -- पु0अ० / बैतूल / रीडर / बंदी अंव. / ७ 🔬 / 15

जबी-इस.स. अपर सल इसलेस्टर दिनामा ७० । उन्हरू

प्रति,

अपर जिला म**जिस्ट्रेट** बैत्*ल* 

विषयः -- मध्यप्रदेश खुट्टी नियम 1989 के अधीन छुट्टी/कलेक्टर/छुट्टी मंजूर करने विषयक। बंदी— इन्दल पुत्र लुगदीः ।

संदर्भ :- पञ्च कमांक-02 / एस०डब्ल्यू० / 15 / 1071 बैतूल दिनांक 02 फरवरी 2015 के तारतम्य

--()--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके मध्यम से बंदी कमांक 886 / 14 शैलेन्द्रसिंह पुत्र मंगलिएंह निवासी शोभापुर कालोनी टाईप थ्री नंठ 141 सारनी जिला बैतूल के सम्बंध में अभिमत चाहा गया हैं, जो निर्धारित प्रारूप अनुसार संलग्न प्रेवित हैं।

संलग्नः — उपरोदतानुसार

, पुलिस अधीतक, पैजिला बैत्ल

वारक परिबोक्षा/कल्याण अधिकारी केन्द्रीय जेल जबलपुर







जल में बंद क्षेदी (बंदी), को पैरोल / प्रोवेशन पर छोड़ने बाबत पुलिस विभाग का प्रतिदेवर बदी क्रमांक / 886/14 नाम क्रांक्रीक्ट निर्दे पिता का नाम अप 38 वर्ष जाति दिसाय निवासी इन्स्यान १०६ प्रेमण्यान ..... ५५ (०)

	And the second s	
0.1	बदी के पूर्व कुतान्त, बदी जिस अपराध में सजा	<del>- 21</del>
}	भुगत रहा है, इसके पूर्व के आपराधिक रिकार्ड	ਰਾ,
I T	रही अपनेकारी । अपरोधाः	
ļ	(ब) सदि बंदी अस्टार्थ अपराधी है जो प्रकरण	
		I have to be
02 1	बंदी के जमानतदार श्री किया है दिन्द	वता श्री स्थार जिल्ल
"-		- 10 5 10G A
	आयु 🗘 🗘 वर्ष, जाति 🤇 इन 🕒 निवासी प्राम	ठ-०। नुगर पारट
ļ	थाना इतारा तस्पील ज्यान हो	वस्ति जिला भिह्नात्म वर्ग ।
Ì		V
	प्रस्तावित किया गया है ।	
ļ	(अ) प्रस्तावित संरक्षकं/जमानुतदार देदी पर	
i	सामान्यतः भाता / पिता के स्थान पर प्रसाधी	न है।
	नियंत्रण रख्य अवस्था	
''   .	New Assessment Company of the Assessment Company of the Company of	
	अपराधी जेपाति का की नहीं है जर्सके जपर	इन्हों है।
	विभेद्धी अवस्ति स्ति देखी निर्मि है। यदि अवस्त्रय वर्ष	10 10 10 1
	है तो उसका विवरण संतरन करें ।	.Ai
\	(स) प्रस्ताबित संरक्षक युद्ध / बीम्पर / विकलाग	
'	तो नहीं है, यदि है हो उसका विवरण ।	7 4.
. ·	(द) निष्कर्ष - बंदी द्वारा प्रस्तावित जनानतदार	इत्याम माध्य मही है।
j .	/संरक्षक योग्य है अध्येत नहीं ? यदि अयोग्य	नारहाङ जामहीद सेवा में 🗗
	है तो कारण वशावे	11663
03	वदी जिस अपराध में दण्डित किया गया है	
	उसके अतिरिक्त अन्य किसी अपराध में सम्बद्ध	ं हा
	है तो उसका विवरण तथा ऐसे अपराध के	
Ì	अभियोजन में की गई कार्यवाही की जानकारी।	
04	बदी पर्व में किस-किस समय जमानत पर	
•	छोडा गुरा। बंदी द्वारा अभानत पर छोड़े जाने ।	प्रक्रीकार अवगरा देन
	का स्क्रियोग किया गया अध्या नहीं ? जेल से ।	- Table
Ì	छूटने की अवधि में कोई अपराध किया हो तो	अविदन अन्दित भूग
1	विवरण ।	4.
Q5	क्या बंदी द्वारा अथवा ससकी और से किसी	विशेषा पीरतप्य श्री
	अन्य त्यक्ति द्वारा सनवर्ष्ट्र के दौरान अभियोजन	1700
	ं साक्षियों को धमकाने या परेशान करने का	अम प्रमान १ १५%।
	्रप्रयास किया एया अथवा नहीं ? यदि हाँ तो	A 75 118 1 424 8 947
	उसका दिवरण संसरन करें ।	6, 7, 4113/
Ĺ	V. (1)	ज्यासान <u>क</u>
		<del>-</del>

परिवीक्षा / कल्याण अधिकारी कन्द्रीय जेल जबलपुर



(15) vy.

..2..

1	नार्क के स्थानिक के संस्थानी का प्रश्निकाल गरि	
06	हर्दी के परिवार के संदर्भों का पूर्ववृतान्त, यदि	<del></del>
il	वे अपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो उसका पूर्ण	
	दिवरण तथा समाज में उनकी प्रतिष्टा ।	विद्राप्त में हें जिल्ली का
07	बंदी का पूर्ववृतान्त तथा उसकी आयु, योग्यता,	40174 A 80011 21
Ì	व्यवसाय आदि का विवरण तथा जैल में एवं	नाम गत्ता भी
	उसके बाहर व्यवसाय का विवरण !	
08	बदी के रिहा करने पर सप्ताज में शांति तथा	2 जोते त्यपत्या ुभेग लेश
00		
	कानून व्यवस्था पर क्या प्रतिक्रिया होगी	
09	बंदी को रिहा करने पर बंदी के विरोधी / पीड़ित	इवतर की लंगावना है
	पक्ष (मृतक) के माता/पिता भाई, पत्नि:	Say Calanan -
:	पुत्र / पुत्री या नजदीकी रिश्तेदार का नत /	
	मादनाएँ / विचार तथा उन्हें कोई खतरा तो नहीं	ļ <i>"</i>
	है । अभिमत लिखिल-में प्राप्त करें ।	
10	बदी की रिहा करने पर बंदी के स्थय के जीवन	स्मृत्र हैं।
í	को कोई खतरा तो नहीं है ? व्या वह जीन से	7751.51
ì	छूटकर शांतिपूर्वक जीवन जी सहेगा ।	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
11	बंदी के ग्रामवासी/पड़ौसी/सरपंच/यार प्रभुख	चाँडोम चे-न्यम संलाम
	/पार्षद का मत लिखित में प्राप्त कर संसंग्द	distail is sail
	करें ।	67
1 40	बंदी द्वारा अपराध करने का तरीका एवं घटना	कही द्वार में ग्रेश बोल्ए श
12	वर्षः द्वारा अपराध करना परा रार का रूप सदर्भा	
<u></u>	का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य यया है ?	<u> </u>
13	थाना प्रभारी का अभिमत :- नोही- अस्ति	
	PART STATE OF THE	ते गाउँ के सेने हिंगराचिक
ļ	विशिवान की हैरकी कर्न लिंद	TE FREE DATE OF ST
	निकन्पत तीह यह क्षेत्र क्षेत्र क	A CHOISON 42 POWERS
İ	अमर तेष्या रते हिन का	(2-) S (4-72) 61 AT 2-7 (1/)
14	अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) का अभिमत् :-	श्रीमा प्रजारी
į '¬	च्यात्मा द्वानी कारती की वीप	State State British
1		
	and en den pendent, enter Be-	पर क्लिस मुखा होता ।
.		अनुविभागीय अधिकात प्रतिहर
		सारनी, चिला चेत्रल (म.च.)
15	पुलिस अधीक्षक का अभिमत : 🔘 🔼 🐧 🗛	_A 2 = = = = = = = = = = = = = = = = = =
į	Sum Tombred RELP 300 My	Shop sylenings
		2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
}	केन्द्री को नेपराल पर हैं।	> 5.00 al 2014.
ĺ	13 - fr no the 13 man	
ļ., <sub>1.</sub>	LALE TO THE TOTAL TOTAL	
		पुलिस अधीक्षक
		वित्रल ( म.प्र. )
		The state of the s

परिवीधा/कल्याण अधिकारी केन्द्रीय जेल जवलपुर

### पेज कमांक ( 🖐 ) की टाईप कॉपी

जेल में बंद कैदी (बंदी) को पैरोल/प्रोवेशन पर छोड़ने बाबत पुलिस विभाग का प्रतिवेदन बंदी कमांक 886/14 नाम शैलेन्द्र सिंह पिता मंगल सिंह आयु 38 वर्ष, जाति सिख निवासी क्वाटर नं. 106 टाईप 2 पाथाखेडा प्रेमनगर थाना सारणी तहसील घोडाडोगरी जिला बैत्ल

	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01.	बंदी के पूर्व वृतान्त बंदी जिस अपराध में सजा भुगत रहा	চাঁ
	है. ↓	
:	इसके पूर्व के आपराधिक रिकार्ड की जानकारी ।	·
	अन्य अपराध है।	
<u></u>	(ब) यदि बंदी अध्यस्थ अपराधी है तो प्रकरण की पूर्ण	1
 	जानकारी संलग्न करें।	
02.	बंदी के जमानतदार श्री दलवीर सिंह पिता श्री मंगल सिंह	आयु ४० वर्ष, जात
	सिख, निवासी क्वा. नं, 106, प्रेमनगर टाईप 2 पाथाखंडा	थाना सारणी तहसील
i	घोडाडोगरी, जिला बैतूल को प्रस्तावित किया गया है।	
	(अ) प्रस्तावित संरक्षक/जमानतदार बेंदी पर सामान्यत:	नहीं
	माता/पिता के स्थान पर प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा !	
	( I will build build and in the property of th	नहीं है ।
	का तो नहीं है उसके ऊपर कोई अपराध तो दर्ज नहीं है,	
	ं यदि अपराध दर्ज है तो उसका विवरण संलग्न करे ।	
:	<ul><li>(स) प्रस्तावित संख्यक वृद्ध/बीमा√विकलांग तो नहीं है,</li></ul>	नहीं
	। यदि है तो उसका विवरण	
Ī	(द) निष्कर्ष : बंदी द्वारा प्रस्तावित जमानतदार/संरक्षक	संरक्षक योग्य नहीं
ļ	योग्य है अथवा नहीं ? यदि अयोग्य है तो कारण दर्शवि ।	है संरक्षक शासकीय
		सेवा में है।
03.	बंदी जिस अपराध में दण्डित किया गया है उसके	हों
	अतिरिक्त अन्य किसी अपराध में संबंद है तो उसका	
	विवरण तथा ऐसे अपराध के अभियोजन में की गई	
i	कार्यवाही की जानकारी।	
04	. बंदी पूर्व में किस किस समय बमानत पर छोड़ा गया ।	पहली बार अवकाश
	े जेले होग अधानत पर छोड़े जाने का दरूपयोग किया गया	ा हत् आवदन प्रस्तुत
	अथवा नहीं ? जेल से छुटने की अवधि में कोई अपराध	ि किया
	ਲਿਆ ਦੇ ਸੇ ਨਿਰਸ਼ਸ਼ ।	
05	. क्या बंदी द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति	ं बंदी द्वारा पीडित पक्ष
	े द्वारा सनवार्ड के दौरान अभियोजन साक्षियों को धमकान	। का जान स मारन
İ	्या परेशान करने का प्रयास किया गया अथवा नहीं ?	' काधभकादागङ्
l I	यदि हॉ तो उसका विवरण संलग्न करें ।	पीडित पक्ष क
		कथन संलग्न है।



### पेज कमांक ( 15) की टाईप कॉपी

06.	बंदी के परिवार के सदस्यों का पूर्ववृतान्त यदि वे	नहीं
	आपराधिक प्रवृत्ति के है तो उसका पूर्ण विवरण तथा	
·	समाज में उनकी प्रतिष्ठा ।	
07.	बंदी का पूर्ववृतान्त तथा उसकी आयु, योग्यता, व्यवसाय,	बंदी पूर्व में ठेकेदारी
ĺ	आदि का विवरण तथा जेल में एवं उसके बाहर व्यवसाय	का काम करता था
	का विवरण	
08.	बंदी के रिहा करने पर समाज में शांति तथा कानून	शांति व्यवस्था भंग
i	व्यवस्था पर क्या प्रतिक्रिया होगी ।	होने के संभावना है
09.	बंदी को रिहा करने पर बंदी के विरोधी/पीडित पक्ष	1 - 1
ļ	(मृतक) के माता /पिता, भाई, पत्नी, पुत्र/पुत्री या	है।
	नबदीकी रिश्तेदार का मत/मावनाए /विचार तथा उन्हे	<u> </u>
İ	कोई खतरा तो नहीं है। अमित लिखित में प्राप्त करें	
10.	बंदी को रिहा करने पर बंदी के स्वयं के जीवन को कोई	खितरा है।
	खतरा तो नहीं है ? क्या वह जेल से छुटकर शांतिपूर्वक	
·	जीवन् जी सकेंगा।	
11.	बंदी के ग्रामवासी/पडौसी/सरपंच/वार्ड प्रमुख/पार्षद का	पडोसी के कथन
	मत लिखित में प्राप्त कर संलग्न करें ।	संलग्न है ।
12.	बंदी द्वारा अपराय करने का तरीका एवं घटना की संक्षिप्त	
	विवरण एवं उद्देश्य क्या है ?	बोहरा का
		नगरपालिका रेडर
i		को लेकर अपहरण
<u>i</u>		कर हत्या किया
13.	थाना प्रभारी का अभिमत :- बंदी शैलेन्द्र सिंह के पूर्व अ	ाप्राधिक इतिहास को
	देखते हुये यदि वह रिहा होता है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र	की शांति व्यवस्था पर
İ	विपरीत असर होगा अत: रिहा किया जाना उचित नहीं है ।	
·		स प्रभारी सारणी बैतूल
14.	1 J	
İ	थाना प्रभारी सारणी की टीप से सहमत होकर बंदी को रिहा	किया जाना अचत
	प्रतीत नहीं होता।	~ ~ ~
	हस्ताक्षर अनुविभागीय व	प्राधकारा सारणा बतूल
15.	पुलिस अधीक्षक का अभिमत :-	<u> </u>
	थाना प्रभारी एवं एस.डी.ओ.पी. की टीप के आधार पर बंद	। का पराल पर छाड
!	जाने को अनुशंसा नहीं की जाती है ।	<del></del>
	हस्ताक्षर 	पुलिस अधीक्षक बैतूल







# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेंट, बैतूल म०प्र०

क्रमांक / 02 / 18 / एसा० डब्ल्यू० / 9 म | 5

वैतृल, दिनांक/ मार्च, 2015

अधीक्षक, जिला जेल,बैतूल

विषय:- म0प्र0बंदी छुट्टी नियम,1989 के अधीन छुट्टी मजूर करने के लिए आवेदन। बंदी:- शैलेन्द्रसिंह पिता मंगलसिंह।

**संदर्भ:—** आपका पत्र क्र**मांक / 9**5 / वारंट / 2015 दिनांक 28.01.2015

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कब्द करें।

2— संदर्भित पत्र से प्राप्त अधीक्षक, जिला जेल, बैतूल के बंदी कमांक 886/14 शैलेन्द्रसिंह पिता मंगलसिंह निवासी-शोभापुर कालोनी टाईप थी नं0.141 सारनी पीठएस०-सारनी तहसील- घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल मठप्रठ के अवकाश प्रारूप 'च' पर पुलिस अधीक्षक, बैतूल से अभिमत प्राप्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक, बैतूल हारा पन्न कमांक-पु०अ० / बैतूल / रीडर / बंदी अव. / 01 / 15 दिनांक 02.03.2015 से उपल बंदी को अधिनियम-1989 के तहत पैरोल पर उन्मुक्त नहीं किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया है।

पुलिस अधीक्षकः बैरूल के प्रवत पत्र की छाधाप्रति संलग्न है।

सं**लग्नः**— उद्यानुसार,

(बी०एस० हुसेश) अपर जिल्हें भेरेंगस्ट्रेट,

बैतूल, दिनाकर मार्च, 2015

पृ०कं 0/02/15/एस 0 डब्ल्यू 0/2 प्रिंडिं-

पुलिस अधीक्षक, बैतूल को सन्हें पत्र कमांक-पु०अ० / बैतूल / रीडर / बंदी अव. / 01 / 15 दिलांक 02.03.2015 के परिशेष्य में सूचनार्थ प्रेषित्।

चीम के स्थित क्रिया

अपर जिला क्रिक्ट्रेट,

व्यक्तापित्र शति

Sandi-New15.2010

परिबीक्षा/कल्याण अधिकारी केन्द्रीय जेल जबलपुर

# (17) Annivere P-5



# कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 2370 /कल्याण/2015 भोपाल दिनांक 30/6/2015

प्रति,

अधीक्षक

केन्द्रीय जेल जबलपुर म.प्र.

विषय :- केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरुद्ध बंदी शैलेन्द सिंह पुत्र मंगलसिंह के निरस्त छुट्टी प्रकरण के समस्त मूल अभिलेख भेजने बावत ।

संदर्भ :- जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल का आदेश क्रमांक 586/वारंट-04/ब.स्था./ २०१५ भोपाल दिनांक 04.05.2015

#### **രം**0-ത

विषयांकित तारतम्य में निवेदन है कि जेल मुख्यालय म.प्र. भोपाल के संदर्भित आदेश के पालन में केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरुद्ध बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगलसिंह निवासी शोभापुर कालोनी टाईप 03 न. 141 सारनी थाना सारनी जिला बैतूल को इस जेल से आपकी जेल पर दिनांक 07.06.2015 को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया है।

उक्त बंदी की निरस्त छुट्टी प्रकरण से संबंधित समस्त मूल अभिलेख आवश्यक कार्यवाही हेतू संलग्न आपकी ओर प्रेषित हैं ।

संलब्ब ≔ मूल बस्ती पेज क्र.०१ से 🚜 तक।

अभीक्षक जेल केन्द्रीय जेल भोपाल

10 63 1 10 63 1 22 17115

परिबीक्षा/कल्याण अधिकारी केन्द्रीय जेल जबलपुर

#### प्रारूप

# कल्याण / परिवीक्षा अधिकारी प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन

बंदी की निरस्त / 03 माह से लंबित छुट्टी प्रकरण के विरुद्ध अपील स्वीकृत / अस्वीकृत किये जाने हेतु

#### प्रारूप-पत्रक छुट्टी नियम – 8 (ग)

1. बंदी का नाम

2. पिता का नाम

3. जेल का नाम

बंदी का जेल प्रवेश क्रमांक एवं दिनांक

परिवीक्षा / कल्याण अधिकारी का नाम

6. जांच रिपोर्ट दिनांक

 क्या बंदी के विरुद्ध अन्य प्रकरण लंबित हैं, तो उसका संक्षिप्त विवरण देवें

 बंदी का जेल में आचरण एवं उसकी गतिविधियां

 क्या बंदी द्वारा पूर्व में जेल नियमों का उल्लंघन करते कोई जेल अपराध घटित किया गया हैं।

उल्लंघन / दंडित किये जाने की स्थिति
 में दिए दण्ड का विवरण

शैलेन्द्र सिंह उम्र 34 वर्ष

मंगलसिंह

केन्द्रीय जेल जबलपुर

7455/15 दिनांक 10.09.13

श्री अजय दत्ता

दिनांक <u>09.08.15</u>

बंदी के विरूद्ध अन्य कोई प्रकरण लंबित नहीं हैं।

बंदी का आचरण अच्छा हैं एवं उसकी गतिविधियों में सुधार परिलक्षित हो रहा हैं।

बंदी ने किसी भी प्रकार का जेल नियमों का उल्लंघन नहीं किया हैं न ही कोई अपराध किया हैं।

बंदी को जेल प्रवेश से लेकर आज तक किसी प्रकार कोई दंड नहीं दिया गया हैं।

नोट:— सपरोक्त बिन्दु कमांक 08 से 10 तक के विवरण को अष्टकोण / वारंट अधिकारी से अभिप्रमाणित कराया जाए।

#### प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि बंदी के संबंध में उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 08 से10 तक अंकित किया गया विवरण अभिलेखानुसार है, जिसका निलान किया गया हैं।

- यनत्यपित्र प्रति

विरिष्ठ का अधिकारी

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी केन्द्रीय जेल जबलपुर

e:\Apeal 2015.pm65

60



(19)

Los

# यदि बंदी की प्रथम छुट्टी स्वीकृत की जाती हैं तो :-

11. बंदी के रिस्तेदार कौन—कौन है ? उनके नामों का बंदी के परिवार में पत्नि पूजा, पुत्र हर्ष, आदित्य, भाई विवरण, पता एवं उनका मत कशमीर सिंह, दलवीरसिंह, निवासी प्रेमनगर सारणी

बंदी के परिवार में पत्नि पूजा, पुत्र हर्ष, आदित्य, भाई कशमीर सिह, दलवीरसिंह, निवासी प्रेमनगर सारणी, थाना सारणी, जिला वैतूल में निवासरत् है। जिन्होने पैरोल हेतु निवेदन किया हैं।

12. बंदी को छुट्टी पर मुक्ति की दशा में कोई खतरा तो नहीं होगा तथा क्या वह सुरक्षित विचरण कर सकता हैं ?

बंदी का जेल आचरण व्यवहार/अन्य गतिविधियों को देखते हुएँ ऐसा प्रतीत होता हैं कि पैरोल अवधि में सुरक्षित विचरण कर सकेगा।

13. क्या बदी पूर्व में जमानत पर रहा हैं, तो उसकी अविध अंकित करे एवं बंदी द्वारा अर्जित स्वतंत्रता का दुरूपयोग तो नहीं किया था ?

बंदी पूर्व में निरोधावधि के दौरान लगभूम 05 वर्ष-05 महि जमानत पर बाहर रहा है। बंदी द्वारा किसी प्रकार से अर्जित स्वातंत्रा का दुरूपयोग नहीं किया है।

14. क्या बंदी की कोई चल अथवा अचल संपत्ति हैं ? अथवा ऐसी पैतृक सम्पत्ति जिसमें उसका हक हो उसका विवरण

बंदी के नाम पर 7000 हजार वर्ग फिट आवासीय भूमि है। जिस पर बंदी का मालिकाना हक है।

15. बंदी के परिवार में कितने सदस्य है ?

बंदी के परिवार में पत्नि. दो पुत्र, दो माईयो सहित कुल 05 सदस्य है।

16. बंदी द्वारा छुट्टी की मांग किस कारण से की गई एवं उसका उपयोग किस प्रकार करेगा ?

बंदी ने अपने कर्त्तव्यों का निवंहन करने के लिए, अपील पैरोल हेतु निवंदन किया हैं।

17. क्या बंदी जेल में परिरुद्ध रहकर जेल सेवा कार्य कर रहा हैं ?

बंदी जेल विद्यालय में लेखन, बंदियों को पढाने का कार्य करता है।

18. क्या बंदी जेल में C.O/C.N.W/ साधारण बंदी हैं ?

साधारण बंदी के रूप में सजा भुगत रहा हैं।

19. क्या बंदी को G.C.R.C. प्राप्त हुआ हैं।

बंदी का आवरण अच्छा होने के फलस्वरूप नियमित जीवसीवआरव प्राप्त कर रहा हैं।

यरिष्ट

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी

e:\Apeal 2015.pm65



(2h) (4)

20. बंदी हारा अम्यावेदन में अपील प्रस्तुत करने का आधार संक्षेप में देवें ?

जिला दण्डाधिकारी बैतूल के आदेश क्रं. 02/15/एस. डबल्यू/2415 बैतूल, दिनांक 05.03.15 के द्वारा प्रथम छुट्टी निरस्त करने पर अपील पैरोल हेतु निवेदन किया गया हैं।

21 कल्याण अधिकारी द्वारा बंदी की प्रथम छुट्टी स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती हैं अथवा नहीं, स्पष्ट अभिमत देवें। यदि अनुशंसा की गई हैं तो उन कारणों को लिपिबद्ध कीजिए,जिसके आधार पर अनुशंसा की गई हैं ?

वार्ड पार्षद क्रं.—16 / मोहल्लेवासियों से मौखिक चर्चानुसार बंदी की पैरोल स्वीकृति पर किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की है। मोहल्ले कर वतावरण अवकाश के पक्ष में है। अतः अपील पैरोल स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती हैं।

22. क्या बंदी का प्रस्तावित जमानदार बंदी पर नियंत्रण रख सकेगा या नहीं ?

बंदी द्वारा प्रस्तावित जमानतदार श्री दलवीर सिंह पिता स्व. मंगलसिंह एवं श्री सिघारा सिंह पिता स्वर्ण सिंह जोकि रिस्ते में बंदी के क्रमशः भाई और जीजा है। ने बंदी को अपने नियंत्रण पर रखने हेतु मौखिक रूप से सहमति जताई है।

23. प्रस्तावित जमानतदार स्वयं अपराधी प्रवृत्ति का तो नहीं है, उसके ऊपर कोई अपराध तो दर्ज, नहीं है ?

बंदी के जमानतदरों की परिवार एवं समाज में अच्छी प्रतिष्टा है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध दर्ज नहीं है।

24. प्रस्तादित जमानतदार वृद्ध / बीमार / विकलांग तो नहीं है ?

बंदी द्वारा प्रस्तावित जमानतदार शारीरिक रूप से स्वरध्य एवं सक्षम है।

25. यदि बंदी को अवकाश पर छोड़ा जाता हैं तो गामवासी/मोहल्लेवासी/साभाजिक शांति तथा कानूनी व्यवस्था पर क्या प्रतिक्रिया होगी, विवरण दें?

बंदी की मनः स्थिति को देखते हुएँ ऐसा प्रतीत होता हैं कि अवकाश अवधि में सामाजिक शांति एवं कानून व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं हैं।

26. यदि बंदी को अवकाश पर छोड़ा जाता हैं तो विरोधी/व्यथित पक्ष का मत/भावना विचार तथा उन्हें कोई खतरा तो नहीं है ?

मृतक मुकेश बोरा की पिल सरोज बोरा ने बंदी के अवकाश पर मौखिक रूप से आपित जाहिरे की है। ऐसा प्रतीत होता है। कि उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं हैं।


27 यदि बंदी को अवकाश पर छोड़ा जाता है तो बंदी के स्वयं के जीवन को कोई खतरा तो नहीं है ?

बंदी को अवकाश पर छोड़े जाने पर उसके जीवन को कोई खतरा होने की संभावना नहीं है।

- स्वल्गाषित्र प्रति

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी केन्द्रीय जेल जबलपुर

e:\Apeal 2015.pm65





(2)

28. अपराध करने का तरीका एवं घटना का संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य वारंट टीप अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :— अभियोजन के अनुसार अभियोजित दिसांक, समय, स्थान पर अभियुक्त ने मृतक मुकेश का अपहरण किया और उसका गला दबाकर ऐसी मृत्यू कारित की जो इत्या की श्रेणी में आती है। तथा अभियुक्त ने मृतक की मोटर सायकिल जलाकर गड्डे में छिपा कर साध्य को छिपाने का प्रयास किया।

29. अपराध होने की क्या बंजह थी ?

मृतक एवं अभियुक्त क्रमशः जनता पार्टी एवं काग्रेश में पदाधिकारी थे। दोनों की आपस में राजनैतिक रंजिश इस कारण अपराध घटित हुआ।

30. क्या उक्त वज़ह अभी भी विद्यमाना हैं ?

यर्तमान में ऐसी बजह विद्यमान होना प्रतीत नहीं होती

31. क्या कैदी की विरोधी पक्ष के साथ अपराध करने की सम्मावना है ? बंदी का चाल चलन एवं अन्य मतिविधियों को देखते हुऐ ऐसा प्रतीत होता है कि मीड़िता परिवार से पुनः विदाद नहीं करें करेगा।

32, अपराधी की मनः स्थिति कैसी हैं ?

वंदी की मनः रिथति अपराध विमुख एवं सुधारात्मक हैं।

## निर्धारित बिन्दुओं के अतिरिक्त 4 बिन्दु शामिल किये जाए :-

बंदी का परिवार वर्तमान में कहाँ निवासरत है।
 (पूर्व पता उल्लेख किया जाए)

बंदी का परिवार वर्तमान में निवासी प्रेमनगर, पाथरखंडा. थाना सारणी, जिला वैतूल में निवासरत् है।

 विरोधी पक्ष का परिवार वर्तमान में कहाँ निवासरत है। ? (पूर्व पता छल्लेख किया जाए) पीड़ित परिवार वर्तमान में शोभापुर कालोनी, थाना सारणी. जिला बैलूल में निवासरत् हैं!


3. क्या विरोधी / पीड़ित पक्ष को बंदी के पैरोल पर आपत्ति है ? अथवा मुक्ति के पक्ष में है (कृपया परिवीक्षा अधिकारी का स्पष्ट प्रतिवेदन सहित अंकित किया जाए) मृतक मुकेश बोरा की पत्नि सरोज बोरा ने बंदी के अवकाश पर मौखिक रूप से आपत्ति जाहिर की हैं। लिखित कथनों से इंकार किया है। अतः अपील पैरोल स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती हैं।

4. क्या बंदी ने मान् न्यायालय द्वारा पारित आदेश / निर्णय के विरुद्ध मान्, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में अपील की हैं ? अपील निराकृत हो चुकी हैं अथवा लंबित है ? (कृपया स्थिति स्पष्ट करें) मान्नीय उच्च न्यायालय म०९० जबलपुर के समक्ष निराकरण हेतु लुंबित हैं।

> यरिष्ठ परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी कन्दीय जेल जबलपुर

e:\Apeal 2015.pm65





उपरोक्त विवरण के आधार पर बंदी को प्रथम छुट्टी स्वीकृत करने/न करने के संबंध में परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी का स्पष्ट अभिमत/निष्कर्ष/अनुशंसा:—

- 1. वारंट टीप अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि :-अभियोजन के अनुसार अभियोजित दिनांक, समय, स्थान पर अभियुक्त ने मृतक मुकेश का अपहरण किया और उसका गला दबाकर ऐसी मृत्यू कारित की जो हत्या की श्रेणी में आती है। तथा अभियुक्त ने मृतक की मोटर सायकिल जलाकर गड्डे में छिपा कर साक्ष्य को छिपाने का प्रयास किया।
- 2. बंदी जेल विद्यालय में लेखन, बंदियों को पढ़ाने का कार्य करता है। सौपे गये कार्य को लगन निष्ठा पूर्वक करता हैं। िकसी प्रकार का जेल नियमों का उल्लंघन व अपराध न करने के फलस्वरूप नियमित माफी प्राप्त कर रहा हैं।
- 3. बंदी पूर्व में निरोधावधि के दौरान लगभग 05 वर्ष 05 माह, जमानत पर बाहर रहा है। बंदी ने किसी प्रकार से अर्जित स्वातंत्रा का दुरूपयोग नहीं किया है। वार्ड पार्षद क्रं.-16 / मोहल्लेवासियों के द्वारा मौखिक बंदी की पैरोल स्वीकृति पर किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त नहीं की है। मोहल्ले कर वतावरण अवकाश के पक्ष में हैं।
- 4. बंदी द्वारा प्रस्तावित जमानंतदार श्री दलवीर सिंह पिता स्व. मंगलसिंह एवं श्री सिघारा सिंह पिता स्वर्ण सिंह जोकि रिस्ते में बंदी के क्रमशः भाई और जीजा है। जिन्होंने बंदी को अपने नियंत्रण पर रखने हेतु मौखिक रूप से सहमति जताई है।

अतः यदी ने निरोधावधि एवं परिहार सहित दिनांक 31.07.15 की स्थित में 22.वर्ष 9.9 माह. दिन की वास्तविक सजा भुगत लिया हैं। बंदी का जेल आचरण व अन्य गतिविधियों को देखते हुए अपील पैरोल स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती हैं।

स्थान – केन्द्रीय जेल जबलपुर दिनांक 09:08:15

परिवेशीर्था क्षेत्रा अधिकारी मेताजी सुभाव चंद्र वीसा केन्द्रीक जेल, जनसमुद्

जेल अधीक्षक द्वारा बंदी की प्रथम छुट्टी स्वीकृत करने / न करने के संबंध में स्पष्ट अभिमत अनुशंसा :--

लाजा के बाजी के का की कारा की का मुजान रहा है। अभी बंदी में लाजा का के बाजी के विनोधे हैं। बंदी प्रकामिक का बाद पर को पास जेता है। कि

स्थान – केन्द्रीय जेल जबलपुर

दिनांक \_\_31.08.13=

अपुरुभगिपेत अति

परिवीक्षा/कल्याण अधिकारी केन्द्रीय जेल जबलपुर 84

e 'Apeal 2015.pm65

\* M

ı

# समक्ष माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधिकार मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

रिट याचिका क्रमांक -

/ 2016

<u>याचिकाकर्ता</u> (जेल में)

शैलेन्द्र सिंह

विरूद्ध

<u> उत्तरवादीगण</u>

म. प्र. शासन द्वारा स्मृत्येत्व एवं अन्य

#### दस्तावेज सूची

<b>क</b> .	दस्तावेज का विवरण	दिनांक	असल/ फोटो प्रति	पृष्ठ शीट
1.	उत्तरवादी क.4 द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति	23.10.2015	फोटो प्रति	1 1 ਝੀਟ
2.	याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरवादी क. 3 के समझ दिया गया पैरोल छुट्टी का आवेदन पत्र की फोटो प्रति	28.01.2015	फोटो प्रति	1 शीट
3.	पुलिस बैतूल द्वारा उत्तरवादी क. 3 के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन की फोटो प्रति	02.03.2015	फोटो प्रति	2 शीट
4.	उत्तरवादी क. 3 का सूचना पत्र याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पैरोल आवेदन पत्र निरस्त किये जाने बावत् की फोटो प्रति	05.03.2015	फोटो प्रति	1 शीट
5.	, याचिकाकर्ता का केन्द्रीय जेल भोपाल से केन्द्रीय जेल जबलपुर में स्थानांतरण पत्र की फोटो प्रति	07.06.2015	फोटो प्रति	1 शीट
6.	याचिकाकर्ता की पैरोल अपील के संबंध में केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ कल्याण व परिवीक्षा अधिकारी का दिनांक 09.08.2015 को केन्द्रीय जेल जबलपुर अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय जेल जबलपुर अधीक्षक की दिनांक 31.08.2015 की स्वीकृति की फोटो प्रति	09.08.2015 31.08.2015	फोटो प्रति	3 शीट
		· ·	कुल	9 शीट

स्थान : जबलपुर

दिनांक : /8/ 01/ 2016

नीरज शर्मा (एड.)

अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता



# (0) ANTErone F.1

# // जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.//

-ः आदेश ::-

क्रमांक / 1 2 3 5 / वारंट-6 / पै.अ. / 121 / 15, भोपाल, दिनांक Q.S) to 2015

बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मंगल सिंह, केन्द्रीय जेल, जबलपुर द्वारा जिला दण्डाधिकारी बैतूल के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अधीक्षक जेल के माध्यम से एस्तुत अपील पर विचार किया गया ।

- बंदी धारा—302 / 34,364,435,201 भा.द.वि. के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड 5000+3000+1000+1000 / - या क्रमशः 3−3 वर्ष के दण्ड से दण्डित है और वह उक्त सजा जेल में परिरुद्ध रहकर भुगत रहा है ।
- न्यायालय द्वारा पारित दण्ड के दिल्ह्झ की गई अपराधिक अपील भी माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है ।
- बंदी के आचरण को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम जञ्चलत प्रदत्त नहीं की गई हैं ।
- पीड़ित पक्ष द्वारा बंदी को पैरोल (अस्थाई छुट्टी) पर छोडे जाने पर आपत्ति ग्रकट की गई है ।
- पुलिस प्रतिवेदन में उल्लेखित कारणों के आधार पर बंदी को पैरोल पर छोडे जाने में असहमति व्यक्त की गई है । उक्त प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखले हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा बंदी को पैरोल पर न छोड़े जाने का अभिमत दिया गया है ।
- पुलिस अधीक्षक, बैतूल के अभिमत व मैदानी स्तर से आई प्रतिकूल टीका के परिप्रेक्ष्य में ठोस एवं प्रथम दृष्टिया विश्वसनीय सामग्री (तथ्यो एवं परिस्थितियों) पर आधारित होकर पर्याप्त रूप से तर्कसंगत पाई जाती है।

अतः लोकहित का अपार किये बिना आजीवन कारावास की सजा से क्षण्डित बंदी को जेल से पैरोल पर छोड़ने योग्य प्रकरण नहीं पाया जाता है। इसलिए जिला दण्डाविकारी द्वारा बंदी को पैरोल स्वीकृत नहीं करने के निर्णय असहमत होने के कोई ठोसः आधार के अभाव में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अमान्य की जाती है।

महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ

मध्यप्रदेश, भोपाल. पृक्षमांक /५ 297 – 9.9 /दारट-6 / पै.अ. / 121 / 15, भोपाल, दिनांक **23) 10 /**2015 प्रतिलिपि:-

जिला दण्डाधिकारी, जिला– बैतूल (म०प्र०) 1.

पुलिस अधीक्षक जिला— बैतूल (म०८०)

की ओर सूचनार्थ प्रेषित 🕫

अधीक्षक, केन्द्रीय जेल,जुबुलपूर् (म०प्र०) की ओर बंदी शैलेन्द्र सिंह पुत्र मगल लिह, का प्रकरण मुलतः भेजकर आपको निर्देशित किया जाता है कि, गंदी को आदेश की प्रति जवाय कर उसकी अभिस्वीकृति इस कःयोलयं को भेजना सुनिष्टिवतं करें ।

> महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएँ 🗽 मध्यप्रदेश, भोपाल.

2:\E drive\WARENT\Apeal Order Warant-6 | 01-01-2015.doc

परिबीक्षा/कल्याण अधिकारी केन्द्रीय जेल जबलपुर

175



# (1) ADDEREAL P-2

्रप्रारूप— 'च' ( नियमं 5(क) देखिये)

छुट्टी / आपात छुट्टी पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

अधार्षक <u>क्रिक्र</u> ा जेल <b>बेंद्रक</b>	अधीक्षक			
Party And "O'Ber	क्ष्माबापा 	_>	<u></u>	<u> </u>
		प्यल.	ම පීර	<b>H</b>

यः - मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम, 1989 के अधीन छुट्टी / आणान खुट्टी भंजूर करने के लिये आवेदन !

निवंदन है, कि मुझे खिरिश्ननों से मिलने हन के लिये के लिये के 2000 के 2000 कि दिन तक की कालाविध की टी आपात छुट्टी मंजूर करने की कृपा करें। छुट्टी की कालाविध के दौरान के निलिखत स्थानों को जाऊँगा। में एत्द द्वारा यह धोषणा करता हूँ कि मैं नीचे जल्लिखत से भिन्न अन्य किन्हीं भी स्थानों को लाई जिजाँगा :-

कल्या **उपअधिनेत्रक** स्मक्ष

नदी के हस्ताक्षर

परितीक्ष्य / राज्यामा अधिकारी केन्द्राय जल जबलपुर

लीक प्राप्ति

(12)

(जेल कार्यालय के लिये) ीप वाम 🛁 ले सिये दंडादिष्ट क्षाअन्म कारागय, क्षाज-म कारागय, ०३ तर्षः ०३ वर्षः दण्डादेश की तारीख 10: 🗢 १: 🐣 🔛 दण्डादेश देने वाले न्यायालय का नाम सानः श्री प्रशानित कुगर् निगम Ist AS J BE पूर्व में लो गई छुट्डी / आपात छुट्टी यदि कोई हो ........ विदाराधीन अविधि वर्ष 🗘 वर्ष 🗘 माह 🔑 दिन 🐤 दण्डादेश दिन को भुगते हुए कुर्ल के 2.12.1019 वर्ष 🕬 माह 😘 दिन 🏳 झाप्त परिहार पर भुगत हुए ......वर्ष <u>.....वर्ष .......वर्ष .....वर्ष ......</u> वर्ष ...... कुल इण्डादेश 💛 देन 🐠 अतिम परिहार पर अवशेष इण्डादेश व्यास्थान र्डमान्द्रेक ना क नेस में बंदी का आचरण क्रीन्ट्य र्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय जिला/उड्डय जेल.......ड्ड क्रमान 95/द्याद्य /2015 वाष सिक्षे व्यक्ति हैलिस्टिस्टि ...... का अवेदन पत्र **म्लतः** ......... फिला मिला द्विद्धिक रहें। <del>कोल एक्सनिकीक्षक क्रव्य**प्रदेश, भोपाल</del> की और आवश्यक कार्यक्षके <b>के लिय अग्रे**बित किया करा</del> ं प्रभवन्तर कही को बुधुरिद्धे कायह एवं हो हो प्रवेशन हैं। उसके महरहे दी लिए वन लगापित श्रीत अस्ति है। परिबीक्षा/कल्याण अधिकारी 😂

- 6.5 यह कि, याचिकाकर्ता के परिवार में पत्नी पूजा, पुत्र हर्ष व आदित्य, भाई कशमीर सिंह, दलवीरसिंह ने पैरोल हेतु निवेदन किया है तथा याचिकाकर्ता विचारण के दौरान लगभग 5 वर्ष, 5 माह जमानत पर बाहर रहा है उसके द्वारा किसी प्रकार से अर्जित स्वातंत्रा का दुरूपयोग नहीं किया है। इस आधार पर भी याचिका स्वीकार किये जोने योग्य है।
- 6.6 यह कि, केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ कल्याण व परिविक्षा अधिकारी की प्रारंभिक जांच प्रतिवदेन के अनुसार मृतक मुकेश बोहरा की पत्नी सरोज बोहरा ने याचिकाकर्ता के पैरोल अवकाश पर मौखिक रूप से आपित जाहिर की है लिखित कथनों से इंकार किया है। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती सरोज बोहरा का किसी प्रकार का खतरा नहीं है। इस आधार पर भी याचिका स्वीकार किये जोने योग्य है।
- 6.7 यह कि, केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ कल्याण व परिवीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक जांच प्रतिवदेन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण लेख किया है कि याचिकाकर्ता ने मृतक मुकेश बोहरा का अपहरण किया और उसका गला दबाकर मृत्यू कारित की तथा मृतक की मोटर सायिकल जलाकर गडड़े में छिपा दिया, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का अपराध विरले से विरले अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस आधार पर भी याचिका स्वीकार किये जोने योग्य है।

#### 7. अनुतोष एवं सहायता :-

याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि उत्तरवादी क. 3 एवं 4 को इस आशय का निर्देश दिया जावे की याचिकाकर्ता द्वारा भविष्य में पैरोल आवेदन पत्र उत्तरवादी क. 3 या 4 के समक्ष प्रस्तुत करे तो वे समानता के अधिकार के अधीन तथा याचिकाकर्ता की वर्तमान अचारण को देखते हुये बिना भेद भाव के पैरोल की स्वीकृति दे । इस आशय का निर्देश माननीय न्यायालय न्यायहित में पारित करें !

#### अंतरिम् सहायता :-

याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि याचिका के विचारण के दौरान उत्तरवादी क. 3 को निर्देशित किया जावे की वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पैरोल अपील को स्वीकृत कर उसे पैरोल पर छोड़ने का आदेश पारित करे।

- <u>दस्तावेजों का विवरण</u> :- विषय वस्तु के अनुसार संलग्न है।
- 10. केविएट :- याचिकाकर्ता घोषणा करता है कि उसे उत्तरवादीगण द्वारा केविएट का नोटिस प्रदान नहीं किया गया है और न ही केविएट नोटिस प्राप्त हुआ है।

यांचिका के समर्थन में यांचिकाकर्ता की पत्नी का शपथ पत्र संलग्न है।

: जबलपुर

कि: 18 / 01 / 2016

नीरज शर्मा (एड.)

अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता



रिट याचिका क्रमांक -

/ 2016

याचिकाकर्ता (जेल में) शैलेन्द्र सिंह

विरूद

उत्तरवादीगण

म. प्र. शासन द्वारा *शान्त्रिक्*एवं अन्य

#### शपथ पत्र

मैं श्रीमती पूजा सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, पत्नी श्री शैलेन्द्र सिंह, निवासी - शोभापुर कॉलोनी, टाईप 3 क्वाटर नं. 141 के पीछे, भ्रोपड़ी पाथाखेड़ा, पुलिस थाना सारणी, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) बामूकाम जबलपुर में शपथ पूर्व निम्नलिखित कथन करती हूँ:-

- यह कि, मैं याचिकाकर्ता की पत्नी हूँ तथा इस संबंध में यह प्रथम याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।
- यह कि मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के अधीन प्रस्तुत की है।
- 3. यह कि संलग्न याचिका की कंडिका क्रमांक 01 से 10 तक में वर्णित कथन मेरी स्वयं की जानकारी में सत्य व सही है।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : /8 / 01 / 2016

शपथकर्ती

#### सत्यापन

में श्रीमती पूजा सिंह, उपरोक्त शपथकर्ती आज दिनांक को हस्ताक्षर कर सत्यापित करती हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका कमांक 1 से 3 में वर्णित कथन मेरी स्वयं की जानकारी में सत्य थ सही

GOPAL BUTT PO GARG JABALPUR

Signature Sonte

Gopal Dutt Garg Oath Commissioner For the High Court





#### याचिका के तथ्य ;-

- 5.1 यह कि, याचिकाकर्ता भारत का निवासी है तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करता है, भारतीय संविधान के भाग 3 में प्राप्त मूल अधिकारो को प्राप्त करने हेतु यह बाचिका प्रस्तुत की है।
- 5.2 यह कि, उत्तरवादी क. 1 को इस कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है क्योंकि उत्तरवादी क. 2, 3 एवं 4 उनके अधीनस्थ विभाग है।
- 5.3 यह कि, याचिकाकर्ता के ऊपर यह आरोप है कि उसने पुलिस थाना सारणी जिला बैतूल में मृतक मुकेश बोहरा की हत्या कर दी थी जिस कारण पुलिस थाना सारणी ने अपराध पंजीबद्ध कर अपराध धारा 302/34, 364, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन आरोपी पत्र विचारण न्यायालय बैतूल में प्रस्तुत किया, अधीनस्य विचारण न्यायालय ने एस.टी. क. 66 / 08 में याचिकाकर्ता को उक्त अपराध में आजीवन कारावास का दण्डादेश दिनांक 10.09.2013 को पारित किया, उक्त निर्णय के विकार माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील क. 2441/13 प्रस्तुत की है जो विचारधीन है।
- 5.4 ~ यह कि, उक्त निर्णय के फलस्वरूप याचिकाकर्ता जिला बेल बैतूल में 2 वर्ष, 1 माह परिरूद्ध रहा। जिस कारण उसने अपनी घरेलू आवश्यकताओं व परिजनों से मिलने हेतु दिनांक 04.02.2015 से 28.02.2015 तक कुल 15 दिन की पैरोल छुट्टी मंजूर करने के लिए जिला बैतूल जेल से दिनांक 28.01.2015 को उत्तरवादी क. 3 (जिला मजिस्ट्रेट बैतूल) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया, जो संलग्न अनुसूचि पी 2 है।
- 5.5 यह कि, उत्तरवादी क. 3 ने याचिकाकर्ता की पैरोल के संबंध में पुलिस अधीक्षक जिला बैतूल से अभिमत चाहा गया तद्परचात पुलिस अधीक्षक बैतूल, पुलिस थाना सारनी बैतूल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2015 को प्रस्तुत किया। जो संलग्न अनुसूचि पी 3 है।
- 5.6 यह कि, उत्तरवादी के. 3 ने पुलिस अधीक्षक बैतूल, पुलिस थाना सारनी बैतूल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैतूल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 02.03.2015 के आधार पर याचिकाकर्ता का पैरोल की छुट्टी का आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2015 को निरस्त कर दिया और उसमें एक टीप लिख दी की " बंदी को सूचित किया एवं अपील करने की सलाह दो गई " । जो संलग्न अनुसूचि पी 4 है।
- 5.7 यह कि, याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जिला जेल बैतूल से केन्द्रीय बेल भोपाल हो गया, तद्पश्चात याचिकाकर्ता का दिनांक 07.06.2015 को प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरित केन्द्रीय जेल भोपाल से केन्द्रीय जेल जबलपुर कर दिया गया, इसी कारण उत्तरवादी क. 2 को औपचारिक पक्षकार स्थानांत्री गया है, याचिकाकर्ता को उत्तरवादी क. 2 से किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं चाहिए है। जो स्टुल्लन अनुसूचि पी 5 है।



5.8 - यह कि, उत्तरवादी क. 3 द्वारा दिया गया पत्र क./02/15/एस.डब्लयू./2415 दिनांक 05.03.2015 का याचिकाकर्ता को इस आराय का प्राप्त हुआ कि उसके द्वारा दिया गया पैरोल हेतु आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है उसे अपील करने की सलाह दी गई है तद्पश्चात् याचिकाकर्ता ने केन्द्रीय जेल जबलपुर के मार्पत उत्तरवादी क. 4 के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।

5.9 - यह कि, उत्तरवादी क. 4 ने उपरोक्त अपील की कार्यवाही के दौरान केन्द्रीय जेल जबलपुर से याचिकाकर्ता की प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन पेश करने का आदेश दिया तद्पश्चात् केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ परिवीक्षा / कल्याण अधिकारी ने याचिकाकर्ता के संबंध में छुट्टी नियम 8 (ग) के अधीन प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.08.2015 को केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत किया जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय जेल जबलपुर के अधीक्षक द्वारा दिनांक 31.08.2015 को दी गई। जो संलग्न अनुसूचि पी - 6 है।

5.10 - यह कि, उत्तरवादी क. 4 ने केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ परिवीक्षा / कल्याण अधिकारी की प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर तथा पुलिस प्रतिवेदन में उल्लेखित कारणों के आधार पर तथा मृतक मुकेश बोहरा की पिल श्रीमती सरोज बोहरा की याचिकाकर्ता को पैरोल छुद्टी पर छोडे जाने पर आपित प्रकट किये जाने पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 23.10.2015 को आदेश क. /1235/वारंट-6/पै.अ./121/15 के अनुसार निरस्त कर दी है। जो संलग्न अनुसूचि पी - 1 है। जिससे दुखित होकर यह याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।


## 6. <u>याचिका के आधार</u> :-

6.1 - यह कि, याचिकाकर्ता पढ़ा लिखा व जिक्षित व्यक्ति है साथ ही कांग्रेश पार्टी का पदाधिकारी था तथा इसी प्रकार मृतक मुकेश बोहरा भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी था ! इसी कारण राजनैतिक प्रभाव के अधीन जिला बैतूल पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, इस आधार पर पारित किया गये आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6.2 - यह कि, याचिकाकर्ता के पक्ष में केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ कल्याण व परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच प्रतिवदेन दिया है, इस आधार पर भी पारित किया गये आदेश निरस्त किये जाने योग्य है साथ ही इस आधार पर याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है।

6.3 - यह कि, याचिकाकर्ता ने निरोधावधि एवं परिहार सहित दिनांक 31.07.2015 की स्थिति में 2 वर्ष, 9 माह 15 दिन की वास्तविक सजा भुगत लिया है और जेल में उसे किसी प्रकार से दंड नहीं दिया गया है, न ही जेल नियमों का उल्लंधन किया है, जेल में थाचिकाकर्ता का आचरण अच्छा है व उसकी गतिविधियों में सुधार परिलक्षित हो रहा है, साथ ही जेल में अन्य बंदियों को पढ़ाने का कार्य करता है। इस आधार पर भी याचिका स्वीकार किये जोने योग्य है।

यह कि, याचिकाकर्ता के वार्ड पार्षद क. 16 तथा मोहल्लेवासियों के अनुसार याचिकाकर्ता की स्वीकृति पर किसी प्रकार की आपित व्यक्त नहीं की है तथा मोहल्ले वाले उसके पैरोल अवकाश में हैं। इस आधार पर याचिका स्वीकार किये जोने योग्य हैं।



रिट याचिका क्रमांक -

/ 2016

<u>याचिकाकर्ता</u> (जेल में) शैलेन्द्र सिंह

<u>विरूद्ध</u>

<u> उत्तरवादीगण</u>

म. प्र. शासन द्वारा सचिव एवं अन्य

## घोषणा

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पुस्तिका 2008, आदेश 25 अध्याय 10 के अधीन याचिका की एक प्रति एडवोकेट जनरल ओफिस जबलपुर (म.प्र.) में दिनांक 18/01/2016 समय .....को प्रस्तुत कर दी गई है।

स्थान : जबलपुर

दिनांक : 18 / 01 / 2016

नीरज शर्मा (एड.)

अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता



रिट याचिका कमांक - \ 🗘 🗸 / 2016

<u>याचिकाकर्ता</u> (जेल में) शैलेन्द्र सिंह

विरूद

<u> उत्तरवादीगण</u>

म. प्र. शासन द्वारा *सान्त्रित* एवं अन्य

## <u>अनुसूची</u>

क,	विवरण	मार्क	पृष्ट संख्या
1.	घोषणा		1
2.	अनुसूची		2
3.	याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण तत्थ		3
4.	याचिका अतंर्गत अनुच्छेद  226 भारतीय संविधान		4 से 7
5.	शपथ पत्र		8
6.	दस्तावेज सूची	•	9
7.	उत्तरवादी क.4-द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2015 की प्रमाणित	P - 1	10
<u> </u>	ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰਸ਼ਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੂਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੂਰ		
8.	याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 28.01.2015 को उत्तरवादी क. 3 के समक्ष दिया गया पैरोल छुट्टी का आवेदन पत्र की फोटो प्रति	P - 2	11 से 12
9.	पुलिस बैतूल द्वारा दिनांक 02.03.2015 को उत्तरवादी क. 2 के समक्ष	P - 3	13 से 15
	प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन की फोटो प्रति		
10.	उत्तरवादी क. 3 का दिनांक 05.03.2015 का सूचना पत्र याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पैरोल आवेदन पत्र निरस्त किये जाने बावत् की फोटो प्रति	P - 4	16
11.	याचिकाकर्ता का दिनांक 07.06.2015 को केन्द्रीय जेल भोपाल से	P - 5	17
<u> </u>	केन्द्रीय जेल जबलपुर में स्थानांतरण की फोटो प्रति		
12.	याचिकाकर्ता की पैरोल अपील के संबंध में केन्द्रीय जेल जबलपुर में	P - 6	18 से 22
	पुदस्थ कुल्याण व परिवीक्षा अधिकारी का दिनांक 09.08.2015 को		 
	केन्द्रीय जेल जबलपुर अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा केन्द्रीय		
	जेल जबलपुर अधीक्षक की दिनांक 31.08.2015 की स्वीकृति की		
į .	फोटो प्रति		
13.	वकालतनामा		23

स्थानः : जबलपुर

दिनांक : /8 / 01 / 2016

नीरज शर्मा (एड.)

अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता



रिट याचिका क्रमांक - 1202/2016

<u>याचिकाकर्ता</u> (जेल में)

शैलेन्द्र सिंह

विरुद्ध

<u>उत्तर</u>वादीगण

म. प्र. शासन द्वारा *स्नचित्र* एवं अन्य

# याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

<b>a</b> .	दिनांक	
		विवरण
1.	10.09.2013	याचिकाकर्त के नाम यह आगे। वे क
-		याचिकाकर्ता के ऊपर यह आरोप है कि उसने थाना सारणी जिला बैतूल में
		मृतक मुकेश बोहरा की हत्या कर दी जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने
]	1	याचिकाकर्ता को उक्त अपराध में आबीवन कारावास का दण्डादेश दिनांक
		10.09.2013 को पारित किया, उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च
2.	28 01 2015	न्यायालय में किमिनल अपील क. 2441/13 प्रस्तुत की है जो विचाराधीन है।
<del>4</del> .	28.01.2015	था।चंकांकता जिल्हा जल बेतल में १ वर्ष । मह एकिन्द्र का । दिए समाप
		उसने अपनी घरेलू आवश्यकताओं व परिजनों से मिलने हेतु दिनांक 04.02.
	!	2015 % 28.02.2015 तक कल 15 दिन की पैरोल बरूरी मेलर करने न्हे किए
i		।जल। बर्गूल जेल स ।दनाक 28.01.2015 को उत्तरवादी क 🤧 /जिला
_		। भाजस्ट्रेट बर्तुल) के समक्ष आवेटन प्रस्तृत किया जो अन्यानि ती 🔨 🖣 .
3.	02.03.2015	े उत्तरिवादा के. 2 ने याचिकाकता की पैरोल के संबंध में प्रलिम अधीयक जिला
]	! !	बर्गूल से अभिमत चाहा गया तदेपञ्चात पुलिस अधीक्षक बैतल । प्रक्रिय श्रामा
ĺ		! सरिना बर्तूल तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैतल दात अपना प्रतिनेटन
<u> </u>		दिनीक 02.03.2015 को प्रस्तुत किया   जो मंलान अनुमन्ति वी _ 2 🕏 i 💎 🐰
4.	05.03.2015	उत्तरवादी क. 2 ने पलिस अधीक्षक बैतल प्रक्रिम बाना भारती तैयल उन्न
		! पुष्टिस अनुविधागाय अधिकारी बैतल द्वारा प्रस्तत प्रतिवेदन दिनांक ०२ ०२
		2015 के अधिर पर याचिकाकता की पैरील की करनी का आवेरन पन
		िंदनीक 05.03.2015 को निरस्त कर दिया। जो संलग्न अनुसन्ति सी 🗸 🗳 📜
5.	07.06.2015	याचिकाकर्ता का स्थानांतरण जिला जेल बैतल से केन्द्रीय जेल भोपाल हो गरा
		ं तद्परचीतं याचिकाकती का दिनांक 07.06.2015 की प्रशासनिक करणों से
		स्थानातास्त केन्द्रीय जेल भोपाल से केन्द्रीय जेल जबलवा का दिया गया जो
	!	सल्ग्न अनुसाव पा - 5 है।
6.	09.08.2015	उत्तरवादी क. 4) ने उपरोक्त अपील की कार्यवाही के दौरान केन्द्रीय जेल
		ंजबलपुर से याचिकाकर्ता की प्रारंभिक जॉच प्रतिवेदन ऐठा करने का आहेता
		दिया तद्पश्चात् केन्द्रीय जेल जबलपर में पटस्थ परिवीक्षाः / कल्लामा अधिकारीः
		ने याचिकाकता के संबंध में छुट्टी नियम 8 (ग) के अधीन प्रारंधिक जांच
		अतिबदन दिनाक 09.08.2015 की केन्द्रीय जेल जबलपर में पटस्थ अधीक्षक
	ļ	महोदय को प्रस्तुत किया जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय जेल जबलपर के अधीयक
		द्वारा दिनाक 31.08.2015 को दी गई। जो संलग्न अनसिव पी - 6 है।
7.	23.10.2015	उत्तरवादी क.4 ने केन्द्रीय जेल जबलपुर में पदस्थ परिवीक्षा / कल्याण
ĺ		अधिकारी की प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर तथा पुलिस प्रतिवेदन में
	1	उल्लेखित कारणों के आधार पर तथा <i>उन्हों ज वहिंदा</i> की याचिकाकर्ता को
		पेरील छुट्टी पर छोडे जाने पर आपत्ति प्रकट किये जाने पर याचिकाकर्ता द्वारा 📗
ı		प्रस्तुत अपील को दिनांक 23.10.2015 को आदेश क./1235/वारंट-6/पै.अ.
i		/121/15 के अनुसार निरस्त कर दी है। जो संलग्न अनुसूचि भी - 1 है।

स्थान : जबलपुर

दिनोक : 18/ 01 / 2016

नीरज शर्मा (एड.)

अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता



रिट याचिका क्रमांक -

/ 2016

<u>याचिकाकर्ता</u> (जेल में) शैलेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, आत्मज श्री मंगल सिंह, निवासी - शोभापुर कॉलोनी, टाईप 3 क्वाटर मं. 141 के पीछे, शोपड़ी पाथाखेड़ा, पुलिस थाना सारणी, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.)

विरूद्ध

### <u>उत्त</u>रवादीगण

- 1. म. प्र. शासन द्वारा सचिव गृह मंत्रालय विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)
  - केन्द्रीय जेल अधीक्षक, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, केन्द्रीय जेल, जबलपुर (म.प्र.)
  - जिला मजिस्ट्रेट बैत्ल, कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बैत्ल (म.प्र.)
  - महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाऍ, जेल मुख्यालय भोपाल (म.प्र.)

## रिट याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान

- आदेश एवं निर्णय का विवरण जिसके विरूद्ध याचिका प्रस्तृत की जा रही है :-
  - (a), आदेश दिनांक
- 23.10.2015
- (b). आदेश क्रमांक
- क्रमांक 1235/वारंट-6/पै.अ./121/15
- (c). किसके द्वारा आदेश दिया गया -
- उत्तरवादी क. 4
- (d). याचिका जिस संबंध में प्रस्तुत की जा रही है :-

यह कि, याचिकाकर्ता केन्द्रीय जेल जबलपुर में हत्या के प्रकरण में बन्दी है तथा उसकी किमिनल अपील नं. 2441/13 माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, याचिकाकर्ता ने पैराल पर 15 दिन अस्थाई छुट्टी हेतु आवेदन उत्तरवादी क. 3 के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन की कार्यवाही के दौरान मृतक मुकेश बोहरा की पत्नि श्रीमती सरोज बोहरा की आपित आई जिस कारण उत्तरवादी क. 3 ने याचिकाकर्ता का आवेदन निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध उसने उत्तरवादी क. 4 के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो निरस्त कर दी गई है।

2. घोषणा :- याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत याचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय या किसी भी माननीय उच्च न्यायालय या किसी अधीनस्य न्यायालय या किसी भी अधिकरण में याचिका प्रस्तुत नहीं की है ।

याचिकाकर्ता द्वारा चाही गई सहायता :- यह कि, याचिकाकर्ता माननीय न्यायालय से प्रार्थना करता है कि उत्तरवादी क. 3 एवं 4 को इस आशय का आदेश दिया जावे कि याचिकाकर्ता को 15 दिन की पैरोल छुट्टी पर छोडा जावे।

अवधि :- यह कि, याचिकाकर्ता द्वारा बिना विलम्ब के समयाविध के अंदर यह याचिका प्रस्तुत की जा रही है। -- 5 --





# जैल मुख्यालय मध्य प्रदेश भीपाल

क्रमांक 57-18 /विधि-पी/2016

भोपात दिनाक्ष्ट्र 🛭 🕏 2016

विधि अधिकारी

केन्द्रीय जेल जबलपुर विषय:--

रिट याचिका क्रमाक 1202 / 2016 शैलेन्द्र सिंह पुत्र भंगलसिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का सूचना पत्र दिनांक 10.02.2016 सदर्भ:--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि याचिकाकर्ता शैलेन्द्र सिंह पुत्र गंगलिसंह द्वारा पैरोल अपील अमान्य किये जाने के विरुद्ध रिट याचिका क्र. 1202/2016 माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई है। आपको प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने हेत् शासन की ओर प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश प्राप्ती के पूर्व महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में प्रकरण से सम्बंधित सुसंगत अभिलेख के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रत्यावर्तन तैयार करवाये जाने की कार्यवाही सम्पादित करें । (महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा आदेशित)

पृ.क्रमांक**ि १ / ९ – २ ८**० विधि – ई / 2015 प्रतिलिपि:--

तरिष्ठ विधि अधिकारी

अध्य प्रदेश भोपाल
भोपाल दिनांक्यु हि है 2015 महाधिवक्ता कार्यालय म०प्र० उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

1. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर उक्ते अनुक्रम में सूचनार्थ एवं 2. आवश्यक कार्यवाही हेत् अग्रेषित।

मध्य प्रदेश भोपाल

